



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 775

**28 Aashwin, 1938 (S)
Ranchi, Friday, 20th October, 2017**

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

18th October, 2017

S.O. No. 109 - Dated 20th October, 2017-- In pursuance of section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter referred to as the said Act) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 40 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, hereby extends the time limit for making a declaration, in **FORM GST ITC-01**, by the registered persons, who have become eligible during the months of July, 2017, August, 2017 and September, 2017, to the effect that they are eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 of the said Act, till the 31st day of October, 2017.

2. This notification shall be deemed to be effective from 13th October, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2017

एस० ओ० 109 - दिनांक 20 अक्टूबर, 2017-- आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के अनुसरण में और आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01 में घोषणा करने के लिए, जो इस प्रभावी महीनों को माह जुलाई, 2017, अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 के दौरान पात्र हो गए हैं, जिन्हें 31 अक्टूबर, 2017 तक उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाने के वे पात्र हैं, समय सीमा विस्तारित करते हैं।

2. यह अधिसूचना 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।
